रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2016/कार्तिक 16, 1938
No. 397] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2016/KARTIKA 16, 1938

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

सं. 11-77/2016 (पी.जी.रेगु.).-- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (झ),(ञ) और (ट) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2007 की उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् यूनानी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने के लिए, निम्नलिखित विनियमों को एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात्:

1.संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.-(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी चिकित्सा शिक्षा) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) वे शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2.परिभाषा.- (1) इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) अभिप्रेत है;

(ख) 'परिषद्' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) 'मान्यता प्राप्त संस्थान' से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) एवं खण्ड (ड. क) के अधीन यथापरिभाषित अनुमोदित संस्थान अभिप्रेत है।

(2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

3.उद्देश्य तथा प्रयोजन.- यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों का उद्देश्य और प्रयोजन यूनानी चिकित्सा से सम्बन्धित विशिष्टताओं और अति विशिष्टताओं का अभिविन्यास करना तथा ऐसे सुविज्ञ और विशेषज्ञों को तैयार करना है जो अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में सुयोग्य और दक्ष अध्यापक, चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, भेषज विशेषज्ञ और अनुसंधानकर्ता हो सकें।

4.स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों हेतु विशिष्टताएं.- स्नातकोत्तर उपाधि निम्नलिखित विशिष्टताओं में अनुज्ञात की जाएगी:-

सारणी - क

माहिर-ए-तिब (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)

क्रम संख्या	विषिष्टता का नाम	नैदानिक अथवा गैर नैदानिक	आधुनिक विषय की निकटतम शब्दावली
1.	कुल्लियाते तिब	गैर नैदानिक	यूनानी चिकित्सा के आधारभूत सिद्धान्त
2.	मुनाफेउल आजा	गैर नैदानिक	शरीरक्रिया विज्ञान
3.	इल्मुल अदविया	गैर नैदानिक	भेषजगुण विज्ञान
4.	इल्मुल सैदला	गैर नैदानिक	भैषजिकी

5.	तहफ़ुजी वा समाजी तिब	गैर नैदानिक	निवारक और सामाजिक चिकित्सा शास्त्र
6.	अमराजे अतफाल	नैदानिक	बाल रोग विज्ञान
7.	मोआलाजात	नैदानिक	चिकित्सा शास्त्र
8.	महियातुल अमराज़	गैर नैदानिक	विकृति विज्ञान
9.	इलाज बित तदबीर	नैदानिक	पथ्यापथ उपचार
10.	अमराजे जिल्द व तज़ीनियत	नैदानिक	त्वचा विज्ञान एवं प्रसाधन

सारणी-ख

माहिरे जराहत (मास्टर ऑफ सर्जरी)

क्रम संख्या	**विशिष्टता का नाम**	**नैदानिक अथवा गैर नैदानिक**	**आधुनिक विषय की निकटतम शब्दावली**
11.	तशरीहुल बदन	गैर नैदानिक	शरीर रचना विज्ञान
12.	इल्मुल जराहत	नैदानिक	शल्य चिकित्सा
13.	अमराजे उज्न, अनफ वा हलक	नैदानिक	कर्ण, नासा और कंठ रोग
14.	कबालत वा अमराजे निस्वान	नैदानिक	प्रसूति एवं स्त्री रोग

5. स्नातकोत्तर उपाधि की नाम पद्धति .- सम्बन्धित विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर उपाधि की नाम पद्धति निम्नवत् होंगी :-

सारणी - क

माहिर-ए-तिब (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)

क्रम संख्या	**विशिष्टता का नाम**	**संक्षिप्त रूप**
1.	माहिरे तिब-कुल्लियाते तिब	एम.डी. (यूनानी) -यूनानी चिकित्सा के आधारभूत सिद्धान्त
2.	माहिरे तिब-मुनाफेउल आजा	एम.डी. (यूनानी) -शरीरक्रिया विज्ञान
3.	माहिरे तिब-इल्मुल अदविया	एम.डी. (यूनानी) -भेषजगुण विज्ञान
4.	माहिरे तिब-इल्मुल सैदला	एम.डी. (यूनानी) भैषजिकी
5.	माहिरे तिब-तहफ़ुजी वा समाजी तिब	एम.डी. (यूनानी) निवारक और सामाजिक चिकित्सा शास्त्र
6.	माहिरे तिब-अमराजे अतफाल	एम.डी. (यूनानी) बाल रोग विज्ञान
7.	माहिरे तिब-मोआलाजात	एम.डी. (यूनानी) चिकित्सा शास्त्र
8.	माहिरे तिब-महियातुल अमराज़	एम.डी. (यूनानी) विकृति विज्ञान
9.	माहिरे तिब-इलाज बित तदबीर	एम.डी. (यूनानी) पथ्यापथ उपचार
10.	माहिरे तिब-अमराजे जिल्द	एम.डी. (यूनानी) त्वचा विज्ञान

सारणी - ख

माहिरे जराहत (मास्टर ऑफ सर्जरी):

क्रम संख्या	**विशिष्टता का नाम**	**संक्षिप्त रूप**
11.	माहिरे जराहत-तशरीहुल बदन	एम.एस. (यूनानी) शरीर रचना विज्ञान
12.	माहिरे जराहत-इल्मुल जराहत	एम.एस. (यूनानी) शल्य चिकित्सा
13.	माहिरे जराहत-अमराजे उज्न, अनफ वा हलक	एम.एस. (यूनानी) कर्ण, नासा और कंठ रोग
14.	माहिरे जराहत-कबालत व अमराजे निस्वान	एम.एस. पाठ्यक्रम) प्रसूति एवं स्त्री रोग

6.LukrdkRrj lLFkk tgk Lukrd ikB;de vfLrRo e g dfy, U;ure vko';drk, -& स्नातकोत्तर संस्था जहॉ स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में हैं निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगा नामत् :—

(1) स्नातक संस्था जो स्नातक पाठ्यक्रम के साढ़े चार वर्ष पूरे कर चुकी हो व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रारंभ के लिए आवेदन कर सकती है।

(2) संस्था भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम की समस्त न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।

(3) संस्था के पास स्नातकोत्तर विशिष्टता के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम के अनुसार समस्त उपकरण एवं अनुसंधान की सुविधाएं होनी चाहिए।

(4) संस्था के पास स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम करने के लिए केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सेन्ट्रल रिसर्च लेबोरेट्री) एवं एनिमल हाउस चाहिए। एनिमल हाउस स्वामित्व में अथवा सहयोग से हो सकता है।

(5) पहले से अस्त्तिव में स्नातकोत्तर संस्थान उपर लिखे उप– विनियम 4 की आवश्यकता को 31 दिसंबर 2016 को पूरा करेंगे।

(6) अतिरिक्त सहायक स्टाफ अर्थात बायोकेमिस्ट, फार्मा कॉलोजिस्ट, बायो–स्टेटिस्टीशीयन, माइक्रोबायोलोजिस्ट, की नियुक्ति होने चाहिए। उनकी शैक्षिणिक योग्यता विषय विशेष में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हानी चाहिए।

(7) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंम करने के लिए विषय विशेष में न्यूनतम अतिरिक्त अध्यापक (स्नातकीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अतिरिक्त) एक प्राध्यापक अथवा प्रवाचक एवं एक व्याख्यता की आवश्यकता होगी एवं जो विशिष्टता स्नातक स्तर पर स्वतंत्र विभाग के अस्तित्व में न हो, वहां स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंम करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक प्राध्यापक अथवा प्रवाचक एवं एक व्याख्यता की होगी।

(8) शैक्षिणिक सत्र 2017–18 से स्नातकोत्तर विभाग अथवा विषय विशिष्टता में न्यूनतम एक प्राध्यापक आवश्यक रूप से होनी चाहिए।

(9) तशरीहुल बदन, मुनाफेउल आजा, इल्मुल अदविया, इल्मुल सैदला, महियातुल अमराज़ एवं ज़राहत विभागों में स्नातकीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अतिरिक्त निम्नलिखित गैर शैक्षिणिक स्टॉफ की आवश्यता है।

(i) प्रयोगशाला तकनीशियन — 1 (एक)

(ii) प्रयोगशाला सहायक — 1 (एक)

(iii) परिचर अथवा चपरासी अथवा बहुउद्देदशीय कार्यकर्ता 1 (एक) प्रयोगशाला सहायक — 1 (एक)

(10) संस्था के पास विशिष्टता अनुसार पूर्णतः सुसस्ज्ति न्यूनतम सौ शैय्याओं वाला अस्पताल जैसाकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम में विदित हो, होना चाहिए ।

(11) उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहां साठ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में हैं, दस स्नातकोत्तर सीट नैदानिक विषयों में शैय्याओं की उन संख्या पर जैसाकि उप – विनियम (10) में विदित है देय होंगी। दस से अधिक नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर सीट के लिए उप–विनियम (10) में विदित शैय्याओं से अतिरिक्त छात्र : शैय्या अनुपात 1:4 होगा।

(12) गैरनैदानिक स्नातकोत्तर विषय जैसाकि विनियम 4 के क्रम संख्या 1 से 5, 8 एवं 11 में विदित हैं के लिए शैय्याओं की आवश्यकता उप–विनियम (10) के अनुसार होगी।

(13) उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहां इकसठ् से सौ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में हैं, वहां नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर सीट के लिए उप–विनियम (10) में विदित शैय्याओं से अतिरिक्त छात्र : शैय्या अनुपात 1:4 होगा।

(14) गत एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान (अर्थात 365 दिन एवं लीप वर्ष में 366 दिन) अन्तरंग रोगी विभाग में न्यूनतम आवश्यक वार्षिक शैय्या अधिभोग 50 प्रतिशत् से अधिक होना चाहिए एवं न्यूनतम आवश्यक बाह्रय रोगी विभाग की उपस्थिति गत एक कैलेण्डर वर्ष (300 दिन) के दौरान 120 प्रतिदिन (उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहां साठ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है) एवं 200 प्रतिदिन (उन स्नातकोत्तर संस्थानों में जहां इकसठ् से सौ छात्रों तक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है) होनी चाहिए।

(15) नैदानिक विभागों में नैदानिक स्नातकोत्तर सीट के लिए बढाई गई प्रत्येक अतिरिक्त 20 शैय्याओं के लिए एक क्लीनिकल रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय अथवा आवासीय चिकित्सा अधिकारी की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

7. LukrdkRrj lLFkk tgk Lukrd ikB;de vfLrRo e ugh g dh fy, U;wure vko';drk,a -& स्नातकोत्तर संस्था जहॉ स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में नहीं हैं निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगा नामत् :–

(1) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्था के पास पूर्णतः सुसज्जित अस्पताल जैसाकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम में विदित हो, होना चाहिए ।

(2) संस्था के पास स्नातकोत्तर विशिष्टता के प्रशिक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम के अनुसार समस्त उपकरण एवं अनुसंधान की सुविधाएं होनी चाहिए।

(3) संस्था के पास स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम करने के लिए केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सेन्ट्रल रिर्सच लेबोरेट्री) एवं एनिमल हाउस चाहिए। एनिमल हाउस स्वामित्व में अथवा सहयोग से हो सकता है।

(4) पहले से अस्तित्व में स्नातकोत्तर संस्थान उपर लिखे उप—विनियम (3) की आवश्यकता को 31 दिसंबर 2016 को पूरा करेंगे।

(5)अतिरिक्त सहायक स्टाफ अर्थात बायोकेमिस्ट, फार्मा कॉलोजिस्ट, बायो—स्टेटिस्टीशीयन, माइक्रोबायोलोजिस्ट, की नियुक्ति होने चाहिए। उनकी शैक्षिणिक योग्यता विषय विशेष में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

(6) विषय विशेष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंम करने के लिए उस विषय के न्यूनतम तीन अध्यापक – एक प्राध्यापक, एक प्रवाचक/सह प्राध्यापक एवं एक व्याख्यता/सहायक प्राध्यापक; अथवा एक प्राध्यापक अथवा एक प्रवाचक/सह प्राध्यापक एवं दो व्याख्यता/सहायक प्राध्यापक; की आवश्यकता होगी।

(7) संस्था के पास अंशकालीक आधार पर शिक्षण के लिए संबंधित विषयक परामर्शदाता अथवा अंशकालीक टीचर जैसाकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम में विदित हो, होना चाहिए ।

(8) शैक्षिणिक सत्र 2017—18 से स्नातकोत्तर विभाग अथवा विषय विशिष्टता में न्यूनतम एक प्राध्यापक आवश्यक रूप से होना चाहिए।

(9) तशरीहुल बदन, मुनाफेउल आजा, इल्मुल अदविया, इल्मुल सैदला, महियातुल अमराज़ एवं ज़राहत विभागों में निम्नलिखित गैर शैक्षिणिक स्टॉफ की आवश्यता है

(i) प्रयोगशाला तकनीशियन – 1 (एक)

(ii) प्रयोगशाला सहायक – 1 (एक)

(iii) परिचर अथवा चपरासी अथवा बहुउद्देदशीय कार्यकर्ता 1 (एक)

(10) उपर लिखे उप - विनियम (9) में विदित विभागों के अलावा अन्य विभागों में निम्नलिखित गैर शैक्षिणिक स्टॉफ की आवश्यता है:—

(i) कार्यालय सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर – 1 (एक)

(ii) परिचर अथवा चपरासी अथवा बहुउद्देदशीय कार्यकर्ता – 1 (एक)

(11) संस्था के पास रोगी विभाग में न्यूनतम 75 शैय्या हों एवं गत एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान (अर्थात 365 दिन एवं लीप वर्ष में 366 दिन) अन्तरंग रोगी विभाग में न्यूनतम आवश्यक वार्षिक शैय्या अधिभोग 50 प्रतिशत् से अधिक होना चाहिए।

(12) न्यूनतम आवश्यक बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति गत एक कैलेण्डर वर्ष (300 दिन) के दौरान 120 प्रतिदिन होनी चाहिए।

(13) उन्नीस स्नातकोत्तर सीट नैदानिक विषयों में शैय्याओं की उन संख्या पर जैसाकि उप – विनियम (11) में विदित है देय होंगी। उन्नीस से अधिक नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर सीट के लिए उप—विनियम (11) में विदित शैय्याओं से अतिरिक्त छात्र : शैय्या अनुपात 1:4 होगा।

(14) विशिष्ट नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान अस्पताल में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम में विदित हो के अनुसार संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग एवं प्रयोगशाला रखेंगे।

प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या जैसाकि उप – विनियम (11) एवं 12 में विदित है तय करने के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग में मरीजों की पूर्ण उपस्थिति देखी जाएगी।

(15) गैर नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान अस्पताल में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (यूनानी महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 यथा समय - समय पर संशोधित विनियम में विदित हो के अनुसार कोई भी बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग एवं उससे संबंधित प्रयोगशाला रखेंगे।

प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या जैसाकि उप – विनियम (11) एवं 12 में विदित है तय करने के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग में मरीजों की पूर्ण उपस्थिति देखी जाएगी।

(16) नैदानिक विभागों में नैदानिक स्नातकोत्तर सीट के लिए प्रत्येक 20 शैय्याओं पर एक क्लीनिकल रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय अथवा आवासीय चिकित्सा अधिकारी की आवश्यकता होगी।

fVIi.kh %&

रिक्त शैक्षिणक पदों पर नियमित भर्ती तक सेवा निवृत्त प्रध्यापक अथवा प्रवाचक एवं सहायक प्रध्यापक एवं व्याख्यता एवं सहायक प्रध्यापक को 65 वर्ष की आयु तक संविदा पर रखा जा सकता है।

8. **प्रवेश की पद्धति**.-

1 **सामान्य अभ्यर्थी :** (क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कामिल-ए-तिब-वा-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी) की उपाधि या समतुल्य उपाधि धारक और भारतीय चिकित्सा पद्धति की राज्य पंजिका में प्रविष्ट कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।

(ख) विश्वविद्यालय या सक्षम प्राधिकारी एक प्रवेश समिति का गठन करेगा जो प्रवेश से सम्बन्धित प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगी।

(ग) अभ्यर्थियों का चयन स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) के माध्यम से 100 अंको में प्राप्त अंतिम प्रवेश सूचकांक के आधार पर ही किया जाएगा तथा स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) कुल 100 अंकों का होगा जिसमें 80 प्रतिशत अंक भार स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) का होंगे एवं 20 प्रतिशत अंक भार स्नातक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों के होंगे ।

(घ) 100 अंको की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) का बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का होगा जिसमें कामिल-ए-तिब-वा जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम के सभी विषय समाविष्ट किए जाएंगे।

(ड़) यूनानी चिकित्सा के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक किसी अभ्यर्थी को यूनानी चिकित्सा के किसी अन्य विषय में अगले पॉच वर्षों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(च) सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों के मामले में प्रवेश हेतु प्रवेश-परीक्षा के न्यूनतम पात्रता अंक कुल अंकों के पचास प्रतिशत अंक होंगे तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा नियमित सरकारी सेवा अभ्यर्थियों के मामले में चालीस प्रतिशत अंक होंगे। अन्य पिछडी जाति के अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम पात्रता पैंत्तालिस प्रतिशत अंक होंगे।

(छ) प्रायोजित अभ्यर्थियों को उप-विनियम (च) में विनिर्दिष्ट अंकों का प्रतिशत प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।
(ज) प्रायोजित विदेशी राष्ट्रिकों (नागरिकों) को उप-विनियम (च) में विनिर्दिष्ट अंकों का प्रतिशत प्राप्त करना की आवश्यकता नही है।

(झ) सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीतियों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगा।

(ञ) कोई अभ्यर्थी जिसे स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की किसी विशिष्टता में प्रवेश मिल चुका हो उसे प्रवेश की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु यूनानी चिकित्सा के किसी अन्य विषय में परिवर्तित होने या प्रवेश मांगने की अनुमति सीट की रिक्तता व गाइड की उपल्बधता होने पर दी जाएगी।
(2). **सेवारत अभ्यर्थीः** (क) अभ्यर्थी मान्यताप्राप्त अथवा अनुमोदित यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय में
सम्बन्धित विषय में कम से कम पांच वर्ष की अवधि हेतु सेवा में होगा।

(ख) अभ्यर्थी स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (पी.जी.ई.टी.) में उपस्थित होंगे तथा इसमें अर्हक अंक प्राप्त करेंगे।
(ग) अभ्यर्थी संस्था से तीन वर्ष का अवकाश लेंगे। अभ्यर्थी को शिक्षकों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियत सीट के अनुपात में प्रवेश दिया जाएगा। (विश्वविद्यालय द्वारा सेवारत शिक्षण प्रदान करने वाले अभ्यर्थी के लिए प्रत्येक विषय में एक सीट नियत की जाएगी)
(घ) सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी के मामले में अन्य शर्ते वही रहेंगी।

9. पाठ्यक्रम की अवधि तथा उपस्थिति.-

(1) स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी।

(2) छात्र को वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होने हेतु कुल व्याख्यानों, प्रयोगात्मक तथा

नैदानिक शिक्षण अथवा कक्षाओं में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

(3) अध्ययन की अवधि के दौरान छात्र को अस्पताल की तथा अन्य ड्यूटी जैसी कि उनके लिए नियत की गई है, पूरी करनी होगी।

(4) सम्पूर्ण अवधि के दौरान नैदानिक विषय के छात्रों को अपने सम्बन्धित विभागों में रेजीडेन्ट ड्यूटी करनी होगी तथा गैर नैदानिक विषय के छात्र उनके सम्बन्धित विभागों जैसे भैषजिकी, औषधि उद्यान तथा प्रयोगशाला में ड्यूटी करेंगे।

(5) छात्रों को विशेष व्याख्यानों, प्रदर्शनों, संगोष्ठियों, अध्ययन दौरों तथा शिक्षण विभागों द्वारा व्यवस्थित किये गये अन्य कार्यकलापों में भाग लेना होगा।

(6) पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि प्रवेश की तारीख से 6 वर्ष होगी।

(7) स्नातकोत्तर छात्र की उपस्थिति वेब आधारित केन्द्रीयकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली द्वारा और छात्र के स्नातकोत्तर विभाग के स्तर पर मैनअुल उपस्थिति आवश्यक होगी।

10. प्रशिक्षण की विधि.- (1) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष मे छात्र को यूनानी के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं का ज्ञान प्राप्त करना होगा

(2) संबंधित विषय का शास्त्रीय ज्ञान तुलनात्मक गहन प्रशिक्षण के साथ प्रदान किया जाएगा।

(3) व्यावहारिक एवं व्यक्तिगत प्रशिक्षण पर गहन जोर देना होगा।

(4) छात्रों को सूचना प्रोद्योगिकी का प्रयोग कर संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान की तकनीक और तरीको के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होगा।

(5) नैदानिक विषयों के छात्रों को स्वतन्त्र रूप से रोगियों की चिकित्सा और प्रबन्धन तथा आपातकालीन चिकित्सा की जिम्मेदारी दी जाएगी।

(6) छात्र को शिक्षण प्रोद्योगिकी व अनुसंधान विधियों का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा एवं पढ़ाई के दौरान स्नातक छात्रों अथवा इनटर्न के शिक्षण **व** प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लेना होगा।

(7) नैदानिक प्रशिक्षण में छात्र को एक विशेशज्ञ के रूप में स्वतंत्र काम करने का ज्ञान प्राप्त करना होगा।

(8) मोआलाजात, इल्मुल जराहत, अमराजे उज्न, अनफ वा हलक तथा कबालत वा अमराजे निस्वान की विशिष्टताओं में छात्र को सम्बन्धित विशिष्टताओं में अन्वेषणात्मक प्रक्रियाओं, तकनीकों तथा प्रक्रियाओं तथा प्रबन्धन के शल्यकर्म क्रिया निष्पादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

11. शोध प्रबंध.- (1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त केन्द्रीय वैज्ञानिक सलाहकार पोस्ट ग्रेजुएट समिति हर शैक्षिणिक वर्ष ध्यान केन्द्रित किये जाने वाले अनुसंधान और विषयों के क्षेत्र का सुझाव देगी। जिससे वैश्विक मानको की जरूरत के आधार पर प्रमाणित यूनानी को प्रचलित करने और उसे प्रकाशित करने में सहायक हो। विश्वविद्यालय समिति भी **शोध प्रबंध का शीर्षक अनुमोदन करते समय इस बात का ध्यान रखेगी ।**

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मे प्रवेश की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम. आर.) के दिशा निर्देशों पर गठित आचार समिति के अनुमोदन के साथ शोध प्रबंध का शीर्षक एवं सार विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) यदि गैरनैदानिक विषय का छात्र नैदानिक परीक्षण से जुड़ा शोध शीर्षक लेता है तो थीसीस तैयार करने के लिए संबंधित विषय के नैदानिक शिक्षक को सह गाईड बनाना होगा।

(4) शोध प्रबंध के सार की एक प्रति विशविद्यालय में प्रस्तुत करने से पहले भारतीय चिकित्सा केनद्रीय परिषद् की वैज्ञानिक समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) यदि छात्र उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर शोध प्रबंध का शीर्षक एवं सार प्रस्तुत करने मे विफल रहता है तो अंतिम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि सार प्रस्तुत करने के समय के अनुसार 6 महीने या उससे अधिक के लिए बढ़ाई जाएगी।

(6) प्रस्तावित योजना का सार प्रस्तावित विषय से संबंधित काम की विशेषज्ञता, कार्य योजना, विभाग का नाम, और गाईड या पर्यवेक्षक और सह गाईड (यदि कोई हो) के नाम व पद का संकेत होगा। विश्वविद्यालय सार जमा करने के तीन महीने के भीतर सार का अनुमोदन करेगा।

(7) शीर्षक का अनुमोदन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान अध्ययन के एक बोर्ड का गठन करेगा।

(8) विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर शोध प्रबंध के सार के अनुमोदन को प्रदर्शित करेगा।

(9) शोध प्रबंध का विषय अनुसंधान उन्मुख, व्यावहारिक उन्मुख, नवीन और यूनानी प्रणाली के विकास में सहायक हो। शोध प्रबंध का विषय विशिष्ट विषय से संबंधित होगा।

(10) एक बार जब शोध प्रबंध के शीर्षक स्नातकोत्तर को विश्वविद्यालय के अनुसंधान अध्ययन बोर्ड ने मंजुरी दे दी, उसके बाद छात्र को विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना काम के प्रस्तावित विषय के शीर्षक को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(11) किसी भी छात्र को पाठ्यक्रम के पूरा होने के छः महीने पहले शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति नही दी जाएगी एवं 3 साल से पहले शोध प्रबंध जमा करने के बाद भी पाठ्यक्रम के तीन साल पूरा करने के लिए छात्र संस्था में नियमित रूप से अध्ययन जारी करेगा।

(12) विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शोध प्रबंध में छात्र गाइड या पर्यवेक्षक के मार्गदर्शन में किये अनुसंधान के तरीको एवं डाटा को सम्मिलित करेगा।

(13) शोध प्रबंध में महत्वपूर्ण साहित्यिक समीक्षा, कार्यप्रणाली, अनुसंधान का परिणाम एवं अनुसंधान के आधार पर चर्चा, सारांश, निष्कर्ष एवं संदर्भों का समावेश होगा जिससे शोध प्रबंध प्रकाशन के लिए उपयुक्त हो।

(14) शोध प्रबंध कम से कम चालीस हजार शब्दों से मिलकर बनेगा।

(15) शोध प्रबंध के अंत में कम से कम पन्द्रह सौ शब्दों का सारांश एवं एक हजार शब्दों का निष्कर्ष होना चाहिए।

(16) गाइड या पर्यवेक्षक प्रोफेसर या रीडर या व्याख्याता या विजिटिंग प्रोफेसर या स्नातकोत्तर विभागों में संविदात्मक संकाय हो सकता है। विजिटिंग फैकल्टी को शिक्षण स्टाफ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(17) एक गैर-स्नातकोत्तर शिक्षक के पास स्नातकोत्तर छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए विशिष्ट विषय या उसके एलाइड विषय में पॉच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना आवश्यक हैं।

(18) पर्यवेक्षक या गाइड के प्रमाण पत्र के साथ बंधे हुए शोध प्रबंध की पांच प्रतियां अंतिम परीक्षा से चार महीने पहले विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय मे जमा की जाएगी।

(19) शोध प्रबंध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो बाहरी और दो आंतरिक परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

(20) उप-विनियम (19) के तहत नियुक्त परीक्षकों के अनुमोदन के बाद ही शोध प्रबंध स्वीकार किया जाएगा और एक बाहरी परीक्षक द्वारा अस्वीकृति के मामले में शोध प्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित तीसरे बाहरी परीक्षक को भेजा जाएगा।

(21) यदि शोध प्रबंध दो बाहरी परीक्षकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसे परीक्षकों की टिप्पणी के साथ छात्र को लौटा दिया जाएगा। परीक्षकों की रिर्पोट के आलोक में आवश्यक सुधार करने के बाद छात्र शोध प्रबंध को फिर से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर विश्वविद्यालय को जमा करेगा।

(22) परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध के अनुमोदन के बाद ही छात्र को स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

(23) अंतर - अनुशासनात्मक अनुसंधान के लिए सम्बंधित विशेषता से गाइड या पर्यवेक्षक चुना जा सकता है।

12. परीक्षा एवं मूल्यांकन :- (1) स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में निम्नलिखित तरीके से दो परीक्षाएं होगी-

(क) प्रवेश के बाद प्रांरभिक परीक्षा, एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में आयोजित की जाएगी।

(ख) अंतिम परीक्षा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद तीन शैक्षणिक वर्ष पूरे होने पर आयोजित की जाएगी।

(ग) परीक्षा आमतौर पर जून या जुलाई और नवंबर या दिसंबर के महीने में आयोजित की जाएगी।

(घ) परीक्षा में सफल घोषित किए जाने के लिए छात्र को प्रारंभिक परीक्षा के सभी विषयों में पास होना होगा।

(ड़) पास घोषित करने के लिए छात्र को अलग - अलग से पचास प्रतिशत अंक सिद्धांत विषयों और प्रैक्टिकल में प्राप्त करने होंगे।

(च) अगर एक छात्र प्रारंभिक परीक्षा में विफल रहता है, उसे अंतिम परीक्षा में शामिल होने से पहले प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी;

(छ) अगर छात्र अंतिम परीक्षा में प्रैक्टिकल या थ्यौरी विषय में विफल रहता है, वह एक ताजा शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना बाद में परीक्षा में प्रकट हो सकता है ;

(ज) विफल रहे उम्मीदवारों के लिए बाद में परीक्षा हर छह महीने के अंतराल पर आयोजित की जाएगी। तथा

(झ) छात्र को शोध प्रबंध के स्वीकृत होने व अंतिम परीक्षा में पास होने के बाद स्नातकोत्तर उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।

(2) परीक्षा का उद्देश्य छात्र का विशेष विषय में नैदानिक कौशल, क्षमता और व्यावहारिक पहलू में कार्यसाधक ज्ञान और एक विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता का परीक्षण करना होगा।

(3) नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य छात्र का यूनानी का ज्ञान एवं विषय विशेष में वैज्ञानिक साहित्य को परखना होगा।

(4) प्रैक्टिल के मौखिक परीक्षा भाग में विशेषता के किसी भी पहलू पर व्यापक चर्चा शामिल की जाएगी।

13. परीक्षा के fo'k; %& (1) प्रवेश के बाद एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में प्रारंभिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों, मे आयोजित की जाएगी :

प्रश्नपत्र –(I)

भाग अ अनुसंधान क्रियाविधि ;

भाग ब जैव या चिकित्सा सांख्यिकी;

प्रश्नपत्र –(II)

भाग अ विषय की बुनियादी बातों का ऍप्लाइड पहलु;

भाग ब संबंधित विषय।

(2) छात्र को संबंधित विभाग में प्रशिक्षण से गुजरना होगा और उसे अपनी चुनी गयी विशेषता में पिछले दो वर्षों के दौरान किये निम्नलिखित कार्य का मासिक रिकार्ड रखना होगा :-

(क) विशेषता से संबंधित साहित्य का अध्ययन;

(ख) नैदानिक विषय के छात्र के लिए अस्पताल में नियमित रूप से नैदानिक प्रशिक्षण;

(ग) गैर चिकित्सीय विषय के छात्र के लिए विभाग में किये जाने वाले अनुसंधान कार्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण;

(घ) विभिन्न सेमिनार, संगोष्ठियों और विचार विमर्श में भाग लेने; तथा

(ड़) शोध प्रबंध में विषय पर किय गए कार्य की प्रगति।

(3) उप -विनियम (2) में निर्दिष्ट पहले वर्ष के दौरान प्रथम वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों द्वारा किए गए कार्य का आकलन प्रारंभिक परीक्षा से पहले किया जाएगा।

(4) अंतिम परीक्षा शोध प्रबंध, लिखित परीक्षा और नैदानिक या व्यावहारिक और मौखिक परीक्षा पर सम्मिलित होगी।

(5) प्रत्येक विशेषता में चार परीक्षा पत्र, और संबंधित विशेषता या विशेष अध्ययन के लिए छात्र द्वारा चयनित उप विशिष्टताओं के समूह में एक व्यावहारिक या नैदानिक और मौखिक परीक्षा होगी।

(6) छात्र का शोध कार्य पर कम से कम एक पत्र पत्रिका (जर्नल) में प्रकाशित या प्रकाशन के लिए स्वीकृत हो और एक पत्र क्षेत्रीय स्तर सगौष्ठी में प्रस्तुत करेगा।

14. परीक्षा की पद्वति और परीक्षक (एस) की नियुक्ति%& (1) प्रारंभिक और अंतिम परीक्षा लिखित, व्यावहारिक, नैदानिक, और मौखिक रूप में आयोजित की जाएगी।

(2) प्रारंभिक परीक्षा दो परीक्षकों की टीम द्वारा जिसमें से एक परीक्षक किसी अन्य संस्था से हो और अंतिम परीक्षा चार परीक्षकों की टीम द्वारा जिसमें से दो परीक्षक भी अन्य संस्था से हो संचालित की जाएगी।

(3) संबंधित विषय में पांच साल का शिक्षण अनुभव या अनुसंधान अनुभव होने पर ही शिक्षक को निरीक्षक नियुक्त करने का पात्र माना जाएगा।

15. स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सुविधाएं :- वजीफा और आकस्मिकता, कन्टिन्जेंसी केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, या विश्वविद्यालय ,द्वारा नियंत्रित (जैसा भी मामला हो) संस्थानों में उनके द्वारा तय दरों पर दी जाएगी।

16. शिक्षक -छात्र अनुपात - (1) शिक्षक -छात्र अनुपात स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या प्रत्येक वर्ष प्रवेशित स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या प्रोफेसर (1:3), रीडर (1:2) या एसोसिएट प्रोफेसर जारी रखा जाएगा।

(2) लैकचरर या सहायक/प्रोफेसर जिन्हें पॉच वर्ष का अध्ययन अनुभव होगा शिक्षक छात्र अनुपात (1:1) होगा।

17. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम छात्रों की अधिकतम संख्या :-

किसी भी विशेषता में प्रतिवर्ष छात्रों की अधिकतम संख्या बारह से अधिक नही होगी

18. निर्देश का माध्यम :-

शिक्षा का माध्यम उर्दू या हिंदी या किसी मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी होगी।

19. शिक्षण स्टॉफ हेतु अर्हताएं - स्नातकोत्तर शिक्षकों हेतु शिक्षण स्टॉफ के लिए अर्हताएं निम्नवत् होगी-

(क) अनिवार्य :- **(i)** विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा में स्नातक उपाधि।

(ii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की अनुसूची में सम्मिलित संबंधित अथवा समवर्गी विषय में स्नातकोत्तर अर्हता

(ख) वांछनीय :-

(i) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव;

(ii) संबंधित विषय पर प्रकाशित मूल पत्र अथवा पुस्तकें;

(iii) अरबी या फारसी या अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान ।

(ग) अनुभव :- —

(i) प्राध्यापक के लिएः संबंधित विषय में कुल 10 वर्षों का अध्यापन अनुभव अथवा 5 वर्षों का संबंधित विषय में प्रवाचक का अनुभव अथवा नियमित रूप से केन्द्र सराकर, या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राजकीय संस्थानों के अनुसंधान परिषद् में कुल 10 वर्षों का अनुसंधान अनुभव एवं पत्रिका में पांच प्रकशित पत्र।

(ii) प्रवाचक के लिएः संबंधित विषय में कुल 5 वर्षों का अध्यापन अनुभव अथवा नियमित रूप से केन्द्र सराकर, या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राजकीय संस्थानों के अनुसंधान परिषद् में कुल 5 वर्षों का अनुसंधान अनुभव एवं पत्रिका में पांच प्रकशित पत्र।

(iii) व्याख्याता के लिएः प्रथम नियुक्ति के समय आयु 45 वर्ष से अधिक न हो एवं किसी अध्यापन अनुभव की आवश्यकता नही हैं।

(घ) संस्था के प्रमुख के पद के लिए अर्हता एवं अनुभव : संस्था के प्रमुख (प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अथवा निदेशक) के इन पदो के लिए निर्धारित अर्हता एवं अनुभव अनिवार्य होगा।

(ड़) समवर्गी विषयों हेतु प्रावधान :- यूनानी की अपेक्षित विशिष्टता जैसाकि कॉलम 2 की तालिका में उल्लिखित है में स्नातकोत्तर उपाधि धारक शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में समवर्गी विषयों जैसा कि कॉलम 3 की तालिका में उनके सामने उल्लिखित है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन उपाधि धारक प्राध्यापक, प्रवाचक एवं व्याख्याता के लिए पात्र समझे जाएंगे -

क्रम संख्या	विषय	समवर्गी विषय
1.	तशरीहुल बदन	इल्मुल जराहत अथवा कुल्लियाते तिब
2.	मुनाफेउल आजा	कुल्लियाते तिब
3.	सैदला	इल्मुल अदविया
4.	महियातुल अमराज	मोआलाजात अथवा कुल्लियाते तिब
5.	इलाज बिल तदबीर	मोआलाजात अथवा तहफ्फुजी वा समाजी तिब
6	अमराजे जिल्द	मोआलाजात
7	अमराजे उज्न, अनफ, हलक वा असनान	इल्मुल जराहत अथवा मोआलाजात
8.	अमराजे ऐन	इल्मुल जराहत अथवा मोआलाजात
9.	इल्मुल अत्फल	मोआलाजात अथवा कबालत वा अमराजे निस्वान

टिप्पणी 1 : यह उपबन्ध सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि पांच वर्ष तक जारी रहेगा।

टिप्पणी 2 : भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम, 1979 एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2007 के आधार पर पूर्व नियुक्त शिक्षक इस उपबंध के प्रकाशित होने पर अनुपयुक्त नही माने जाएंगे।

टिप्पणी 3 : भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2007 के आधार पर पूर्व नियुक्त शिक्षक सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता के बिना प्राध्यापक, प्रवाचक और व्याख्याता के पद पर नियुक्त अथवा प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।

टिप्पणी 4 : सम्बन्धित विषयों में प्राध्यापक और प्रवाचक के पद पर नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए गैर स्नातकोत्तर व्याख्याता तथा प्रवाचक को कम से कम क्रमशः तेरह और आठ वर्षो का अध्यापन अनुभव रखना होगा । परन्तु यह उपबन्ध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्षो तक लागू रहेगा।

टिप्पणी 5 : नियमित रूप से डाक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) धारक के अनुसंधान अनुभव को एक वर्ष के शिक्षण अनुभव के समान समझा जाएगा।

20. अनुमति की प्रकिया पूरा होने की तारीख एवं यूनानी संस्था में दाखिले की कट-ऑफ- डेट -

(1) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश का अनुदान या अनुमति देने से इन्कार करने की प्रक्रिया प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 31 जुलाई तक पूरी की जाएगी।

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमो में दाखिले के लिए कट-ऑफ-डेट प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 30 सितंबर होगी।

क.नटराजन, निबंधक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./290(124)]

टिप्पणीः अग्रेंजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अग्रेंजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016

No.11-77/2016-Unani (P.G. Regl.).— In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Post–graduate Unani Education) Regulation, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to regulate the education of post-graduate course in Unani medicine, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Unani Medical Education) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);

(b) "Council" means the Central Council of Indian Medicine;

(c) "recognised institution" means an approved institution as defined under clauses (a) and (ea) of sub-section (1) of section 2 of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act

3. Aims and objects.- The aims and objects of the post-graduate degree courses in Unani medicine shall be to provide orientation of specialties and super specialties in Unani medicine and to produce experts and specialists, who can be competent and efficient teachers, physicians, surgeons, pharmaceutical experts and researchers in their respective fields.

4. Specialities for post-graduate degree courses.- The post-graduate degrees shall be allowed in the following specialities as under:-

Table - A

Mahire Tib (Doctor of Medicine)

Sl. No.	Name of specialty	Clinical or Non-clinical	Nearest terminology of modern subject
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kulliyate Tib	Non-Clinical	Basic Principles of Unani medicine
2	Munafe ul Aza	Non-Clinical	Physiology
3	Ilmul Advia	Non-Clinical	Pharmacology
4	Ilmul Saidla	Non-Clinical	Pharmacy
5	Tahaffuzi wa Samaji Tib	Non-Clinical	Preventive and Community medicine
6	Amraze Atfal	Clinical	Paediatrics
7	Moalajat	Clinical	Medicine
8	Mahiyatul Amraz	Non-Clinical	Pathology
9	Ilaj bit Tadabeer	Clinical	Regimen therapy
10	Amraze Jild wa Tazeeniyat	Clinical	Dermatology and Cosmetics

Table - B

Mahire Jarahat (Master of Surgery)

Sl. No.	Name of speciality	Clinical or Non-clinical	Nearest terminology of modern subject
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Tashreehul Badan	Non-Clinical	Anatomy
12	Ilmul Jarahat	Clinical	Surgery
13	Amraze Uzn, Anf wa Halaq	Clinical	Diseases of Ear, Nose and Throat
14	Qabalat wa Amraze Niswan	Clinical	Obstetrics and Gynaecology

5. Nomenclature of post-graduate degree.- The nomenclature of post-graduate degree in respective specialities shall be as under:-

Table - A
Mahire Tib (Doctor of Medicine)

Sl.No.	Nomenclature of speciality or degree	Abbreviation
(1)	(2)	(3)
1.	Mahire Tib –Kulliyate Tib	M.D. (Unani) - Basic principles of Unani medicine
2.	Mahire Tib –Munafeul Aza	M.D. (Unani) - Physiology
3.	Mahire Tib –Ilmul Advia	M.D. (Unani) - Pharmacology
4.	Mahire Tib –Ilmul Saidla	M.D. (Unani) - Pharmacy
5.	Mahire Tib –Tahaffuzi waSamaji Tib	M.D. (Unani) - Preventive and Community medicine
6.	Mahire Tib –Amraze Atfal	M.D. (Unani) - Paediatrics
7.	Mahire Tib -Moalajat	M.D. (Unani) - Medicine
8.	Mahire Tib –Mahiyatul Amraz	M.D. (Unani) - Pathology
9.	Mahire Tib -Ilaj bit Tadabeer	M.D. (Unani) - Regimenal therapy
10.	Mahire Tib –Amraze Jild	M.D. (Unani) - Dermatology

Table - B
Mahire Jarahat (Master of Surgery)

Sl.No.	Name of speciality	Abbreviation
(1)	(2)	(3)
11.	Mahire Jarahat-Tashreehul Badan	M.S. (Unani) - Anatomy
12.	Mahire Jarahat-Ilmul Jarahat	M.S. (Unani) - Surgery
13.	Mahire Jarahat-Amraze Uzn, Anf wa Halaq	M.S. (Unani) - Diseases of Ear, Nose and Throat
14.	Mahire Jarahat- Qabalat wa Amraze Niswan Tibb	M.D. (Unani) - Obstetrics and Gynaecology

6. Minimum requirement for post-graduate institution where under-graduate course is in existence.- The post-graduate institute where under-graduate course is in existence shall fulfil following requirements namely:-

(1) The under-graduate institution which has completed minimum four and half years of under-graduate teaching shall be eligible for applying to start post-graduate courses.

(2) The institute shall satisfy the entire minimum requirements of under-graduate training as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.

(3) The institute shall have all the equipment and research facilities required for training in the related specialty and subject as specified in Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.

(4) The institute shall have Central Research Laboratory and Animal House for starting post-graduate Course, Animal House shall be either owned or in collaboration.

(5) The existing post-graduate Institutions shall fulfil this requirement as specified in sub-regulation (4) above before 31st December, 2016.

(6) The Additional Ancillary staff like Biochemist, Pharmacologist, Bio Statistician, Microbiologist to be appointed and the Qualification shall be Post Graduate degree in the subject concerned or equivalent qualification from a recognized University.

(7) The minimum additional teaching staff required for starting post-graduate course shall be one Professor or Reader and one Lecturer of the concerned subject, in addition to the teachers stipulated for under-graduate teaching, and the speciality which does not exist as independent department at under-graduate level shall have minimum one Professor or Reader and one Lecturer for starting post-graduate course.

(8) The post-graduate department or speciality shall have minimum one Professor in concerned subject or speciality from the academic session 2017-18.

(9) In each of the department of Tashreehul Badan, Munafeul Aza, Ilmul Advia, Saidla, Mahiyatul Amraz and Jarahat, the following non-teaching staff shall be required in addition to the under-graduate staff requirement:

(i) Laboratory technician - 1 (one)

(ii) Laboratory assistant - 1 (one)

(iii) Attendant or Peon or Multipurpose worker - 1 (one).

(10) The institute shall have a fully equipped hospital consisting of minimum one hundred beds with speciality-wise adequate facilities in all departments as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.

(11) In the post-graduate institute having under-graduate course with upto sixty seats, ten post-graduate seats in clinical subjects shall be admissible within the bed strength as specified in sub-regulation (10) and for more than ten post-graduate seats in clinical subjects, additional beds in the student: bed ratio of 1:4 shall be provided over the bed strength as specified in sub-regulation (10).

(12) The post-graduate in non-clinical subject as specified in regulation 4 at serial number 1 to 5, 8 and 11 shall be admissible on the basis of bed strength as specified in sub-regulation (10);

(13) The post-graduate institute having under-graduate course with sixty-one to hundred seats shall require additional beds for post-graduate seats in clinical subjects in the student: bed ratio of 1:4 over the bed strength as specified in sub-regulation (10).

(14) The minimum annual average bed-occupancy in In-Patient Department of the hospital during last one calendar year (i.e.365 days and 366 days in case of a leap year) shall be more than fifty per cent. and minimum daily average attendance of patients in Out-Patient Department of the hospital during last one calendar year (300 days) shall be minimum one hundred and twenty patients per day for the colleges having post-graduate course(s) with upto sixty under-graduate seats and two hundred patients per day for the colleges having post-graduate course(s) with sixty-one to hundred under-graduate seats.

(15) In clinical departments, the additional beds increased for clinical post-graduate seats, one Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor shall be provided for every twenty beds.

7. Post-graduate Institute where under-graduate course is not in existence - The post-graduate institute where under-graduate course is not in existence shall fulfil following requirements namely:-

(1) The institute shall have fully developed Departments with infrastructure as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time, in which post-graduate course is being conducted.

(2) The institute shall have all the equipment and research facilities required for training in the related speciality and subject as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time.

(3) The institute shall have Central Research Laboratory and Animal House for starting post-graduate Course, Animal House shall be either owned or in collaboration.

(4) The existing post-graduate Institutions shall fulfil the requirement as specified in sub-regulation (3) above before 31st December, 2016.

(5) The Additional Ancillary staff like Biochemist, Pharmacologist, Bio Statistician, Microbiologist to be appointed and the Qualification shall be Post Graduate degree in the subject concerned or equivalent qualification from a recognized University.

(6) The department, in which post-graduate course is being conducted shall have minimum three faculties; one Professor, one Reader/Associate Professor and one Lecturer/Assistant Professor; or one Professor or Reader/Associate Professor and two Lecturers/Assistant Professors in each concerned subject or specialty.

(7) Consultants or part time teachers in concerned speciality as specified in as specified in the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time shall be engaged for teaching on part time basis.

(8) The post-graduate department or speciality shall have minimum one Professor in concerned subject or specialty from the academic session 2017-18.

(9) In each of the department of Tashreehul badan, Munafeul Aza, Ilmul Advia, Saidla, Mahiyatul Amraz and Jarahat, the following non-teaching staff shall be required:

(i) Laboratory technician	-	1 (one)
(ii) Laboratory assistant	-	1 (one)
(iii) Attendant or Peon or Multipurpose worker	-	1 (one).

(10) In each of department other than these departments specified in sub-regulation (9) above, following non-teaching staff shall be required:

(i) Office Assistant or Data entry operator	-	1 (one)
(ii) Attendant or Peon or Multipurpose worker	-	1 (one).

(11) Minimum seventy-five beds in In-Patient Department of the hospital and minimum annual average bed-occupancy in In-Patient Department of the hospital during last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall be more than fifty per cent.

(12) Minimum daily average attendance of patients in Out-Patient Department of the hospital during last one calendar year (300 days) shall be minimum one hundred and twenty patients per day.

(13) Nineteen post-graduate seats in clinical subjects shall be admissible within the bed strength as specified in sub-regulation (11) and for more than nineteen post-graduate seats in clinical subjects, additional beds in the student: bed ratio of 1:4 shall be provided over the bed strength as specified in sub-regulation (11).

(14) The institute conducting post-graduate course in clinical speciality shall have related Out-Patient Departments and In-patient departments and laboratory in the hospital as per the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time and the total attendance of patients in those Out-Patient Departments and In-Patient Departments shall be taken in to account for the purpose of determining minimum daily average attendance of patients as mentioned in sub-regulation (11) and (12).

(15) The institute conducting post-graduate course in non-clinical speciality shall have any of Out-Patient Departments and In-Patient Departments and related laboratory in the hospital as per the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 as amended from time to time and the total attendance of patients in those Out-Patient Departments and In-patient Departments shall be taken in to account for the purpose of determining minimum daily average attendance of patients as mentioned in sub-regulations (11) and (12).

(16) In clinical departments, the beds for clinical post-graduate seats, one Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor shall be provided for every twenty beds.

Note.-The vacant post may be filled up on contractual basis with the retired Professors or Readers or Associate Professors or Lecturers or Assistant Professors below the age of sixty-five years in any department, till the regular appointment is made.

8. Mode of admission.- (1) Regular Candidates: (a) A person holding degree of Kamile Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) or equivalent degree from a recognised University or institution included in the Second Schedule of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 and enrolled in the Central or State Register of Indian System of Medicine shall be eligible for admission in the post-graduate degree courses;

(b) The State Government or University concerned shall conduct the admission process;

(c) The Selection of candidates shall be made on the basis of final merit index calculated out of total of hundred marks based on eighty per cent. weightage to the post-graduate entrance test (PGET) and twenty per cent. weightage to the marks obtained in under-graduate course;

(d) The post-graduate entrance test (PGET) of hundred marks shall consist of one common written test of multiple choice questions covering all the subjects of Kamile Tib O Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) course;

(e) A candidate possessing post-graduate degree in one subject of Unani medicine shall not be allowed admission in any other subject of Unani medicine for post-graduate course for the next five years;

(f) The minimum eligibility marks of the entrance test for admission in the case of general candidates shall be fifty per cent. of the total marks, in the case of candidates belonging to the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and regular Central or State Government service candidate shall be forty per cent. and in the case of candidates belonging to the Other Backward classes shall be forty-five per cent.;

(g) The sponsored candidates shall also be required to possess the percentage of marks specified in sub-regulations (f);

(h) The sponsored foreign national's candidates shall not be required to possess the percentage of marks specified in sub-regulations (f);

(i) Reservation for all categories shall be applicable as per the policy of the Central Government or the concerned State Government;

(j) Change of subject shall be permissible within a period of two months from the date of admission, subject to availability of vacancy and guide in the concerned department.

(2) In-service candidates: (a) The applicant shall be in service minimum for a period of five years in the concerned subject in a recognized or approved Unani medical college;

(b) The applicant shall appear in the post-graduate entrance test (PGET) and obtain qualifying marks in it;

(c) The candidate shall take three years leave from the concerned office. He shall be given admission against the seat allocated by the University for teachers. (one seat in each subject shall be allocated for in-service teaching candidate by the University);

(d) Other conditions shall remain same as in case of a regular candidate.

9. Duration of course and attendance.- (1) The student shall have to undergo study for a period of three years after the admission.

(2) The student shall have to attend minimum seventy-five per cent. of total lectures, practicals and clinical tutorials or classes to become eligible for appearing in the examination.

(3) The student shall have to attend the hospital and other duties as may be assigned to him during the course of study.

(4) The students of clinical subject shall have to do Resident duties in their respective departments and student of non-clinical subject shall have duties in their respective departments like Pharmacy or Herbal Garden or Laboratory during the course of study.

(5) The students shall attend special lectures, demonstrations, seminars, study tours and such other activities as arranged by the teaching departments.

(6) The maximum duration for completion of the course shall not exceed beyond the period of six years from the date of admission to the course.

(7) Web based centralised biometric attendance system shall be required for the attendance of post-graduate student's and manual attendance at department level in which student is pursuing the post-graduate course.

10. Method of training.- (1) In the first year of the course, the students shall have to acquire knowledge in the applied aspects of the fundamentals of Unani.

(2) Intensive training shall be provided in classical knowledge along with comparative and critical study in the respective specialty.

(3) The emphasis shall be given on intensive applied and hands on training.

(4) The students shall have to acquire the knowledge about the methods and techniques of research in the respective fields making use of information technology.

(5) In clinical subjects, students shall undertake responsibility in management and treatment of patients independently and deal with emergencies.

(6) The student shall undertake training in teaching technology and research methods and shall participate in the teaching and training programs of under-graduate students or interns in the respective subjects during the course of studies.

(7) In the clinical training, the student shall have to acquire the knowledge of independent work as a specialist.

(8) In the specialties of Moalajat, Ilmul Jarahat, Amraze Uzn, Anf wa Halaq and Qabalat wa Amraze Niswan the student shall have to undergo training of investigative procedures, techniques and surgical performance of procedures and management in the respective specialty.

11. Dissertation.- (1) Central Scientific Advisory Post Graduate Committee appointed by Central Council of Indian Medicine shall suggest the areas of Research and topics to be focussed every academic year to make compaigning of evidence based Unani to the need of global standards and achieve publications and the same shall be followed by University Committee while approving the Dissertation title.

(2) The title of the dissertation along with the synopsis, with approval of the Ethics Committee constituted by the institute as per regulations of concerned recognised University or guidelines of Indian Council of Medical Research (ICMR), shall be submitted to the University within a period of six months from the date of admission to post-graduate course.

(3) If a non-clinical subject student takes a thesis topic involving clinical trials then he/she shall work under co-guide of a clinical teacher of the specialty concerned for preparing the thesis.

(4) A copy of the synopsis of the dissertation shall be submitted to the Central Council of Indian Medicine's Scientific Committee before submitting to the University.

(5) If the student fails to submit the title of dissertation and synopsis within the period specified under sub-regulation (2), his terms for final post-graduate course shall be extended for six months or more in accordance with the time of submission of the synopsis to the University.

(6) The synopsis of the proposed scheme of work shall indicate the expertise and action plan of work of the student relating to the proposed theme of work, the name of the department and the name and designation of the guide or supervisor and co-guide (if any).

The University shall approve the synopsis not later than three months after submission of the synopsis.

(7) A Board of Research Studies shall be constituted by the University for approving the title.

(8) The University shall display the approved synopsis of dissertation on their website.

(9) The subject of every dissertation shall be research oriented, practical oriented, innovative and helpful in the development of Unani system and the subject of the dissertation shall have relation with the subject matter of the specialty.

(10) Once the title for dissertation is approved by the Board of Research Studies of the University, the student shall not be allowed to change the title of the proposed theme of work without permission of the University.

(11) No student shall be allowed to submit the dissertation before six months of completion of course and the student shall continue his regular study in the institution after submission of dissertation to complete three years.

(12) The dissertation shall contain the methods and data of the research carried out by the student on the problem selected by him and completed under the guidance of the guide or supervisor approved by the University.

(13) The dissertation shall consist critical review of literature, methodology, results of the research, discussion on the basis of research findings of the study, summary, conclusion and references cited in the dissertation shall be suitable for publication.

(14) The dissertation shall consist of not less than forty thousand words.

(15) The dissertation shall contain, at the end, a summary of not more than one thousand and five hundred words and the conclusion not exceeding one thousand words

(16) The guide or supervisor shall be a person of status of a Professor or Reader or Lecturer having post-graduate degree or Visiting Professor or a contractual faculty in the post-graduate departments. Visiting faculty will not be considered in teaching strength.

(17) A non-post-graduate teacher, for providing guidance to the post-graduate scholars, shall have minimum five years teaching experience in the concerned or allied subject.

(18) Five copies of the bound dissertation along with a certificate from the supervisor or guide shall reach the office of the Registrar of the University four months before the final examination.

(19) The dissertation shall be assessed by two external and two internal examiners appointed by the University.

(20) The dissertation shall be accepted only after the approval of examiners appointed under sub-regulation (19) and in case of disapproval by one external examiner, the dissertation shall be referred to third external examiner approved by the University concerned.

(21) If the dissertation is not accepted by two external examiners, the same shall be returned to the student with the remarks of the examiners and the student shall resubmit the dissertation after making necessary improvement in the light of examiners' report to the University within a further period of six months.

(22) The student shall be permitted to appear in the final examination of post-graduate degree course only after approval of the dissertation by the examiners.

(23) Inter-disciplinary research may be done by co-opting the guide or supervisor from the concerned speciality.

12. Examination and assessments.- (1) The post-graduate degree course shall have two examinations in the following manner:-

(a) the preliminary examination shall be conducted at the end of one academic year after admission;

(b) the final examination shall be conducted on completion of three academic years after the admission to post-graduate course;

(c) examination shall ordinarily be held in the month of June or July and November or December every year;

(d) for being declared successful in the examination, student shall have to pass all the subjects separately in preliminary examination;

(e) the student shall be required to obtain aggregate fifty per cent. marks in practical and theory subjects separately to be announced as pass;

(f) if a student fails in preliminary examination, he shall have to pass before appearing in the final examination;

(g) if the student fails in theory or practical in the final examination, he may appear in the subsequent examination without requiring to submit a fresh dissertation;

(h) the subsequent examination for failed candidates will be conducted at every six months interval; and

(i) the post-graduate degree shall be conferred after the dissertation is accepted and the student passes the final examination.

(2) The examination shall be aimed to test the clinical acumen, ability and working knowledge of the student in the practical aspect of the specialty and his fitness to work independently as a specialist.

(3) The clinical examination shall be judge the competence of the student in Unani and scientific literature of the specialty.

(4) The viva-voce part of the practical examination shall involve extensive discussion on any aspect of subject or specialty

13. Subjects of examination.- (1) The preliminary examination at the end of one academic year after admission shall be conducted in the following subjects, namely:-

Paper I-

Part A- Research Methodology;

Part B- Bio or Medical Statistics;

Paper II-

Part A- Applied aspects of fundamentals regarding concerned subjects;

Part B- Concerned subject.

(2) The student shall have to undergo training in the department concerned and shall maintain month-wise record of the work done during the last two years of study in the specialty opted by him as under:-

(a) study of literature related to specialty;

(b) regular clinical training in the hospital for student of clinical subject;

(c) practical training of research work carried out in the department, for student of non-clinical subject;

(d) participation in various seminars, symposia and discussions; and

(e) progress of the work done on the topic of dissertation.

(3) The assessment of the work done by the students of first year post-graduate course during the first year as specified in sub-regulation (2) shall be done before the preliminary examination.

(4) The final examination shall include dissertation, written papers and clinical or practical and oral examination.

(5) There shall be four theory papers in each specialty and one practical or clinical and viva-voce examination in the concerned specialty or group of sub-specialties selected by the student for special study.

(6) The student shall publish or get accepted minimum one research paper on his research work in one journal and one paper presentation in regional level seminar.

14. Mode of examination and appointment of examiner(s).- (1) The preliminary examination and final examination shall be held in written, practical, clinical and oral examination.

(2) The preliminary examination shall be conducted by a team of two examiners, out of which one examiner shall be external from any other institution and final examination shall be conducted by a team of four examiners, out of which two examiners shall be external from any other institution.

(3) A teacher with five years teaching or research experience in concerned subject or specialty shall be considered eligible for being appointed as an examiner.

15. Facilities for post-graduate students.-The stipend and contingency shall be provided at the rates decided by the Central Government for institutes of its control or respective State Government for institutes of its control or University, as the case may be.

16. Teacher - student ratio.- (1) The teacher-student ratio shall be such that the number of post-graduate teachers to the number of post-graduate students admitted per year is maintained as one is to three (1:3) in case of Professor, one is to two (1:2) in case of Reader or Associate Professor.

(2) The teacher student ratio shall be one is to one (1:1) in case of Lecturer or Assistant Professor having minimum five years teaching experience.

17. The maximum number of students in post-graduate course.- The maximum number of students per year per speciality shall not exceed twelve.

18. Medium of instruction - The medium of instruction shall be Urdu or Hindi or any recognised regional language or English.

19. Qualifications and Experience for teaching staff.- The qualifications and experience for teaching staff shall be as follows:-

(a) Essential qualification-

(i) A Bachelor degree in Unani Medicine from a University as recognised under the Act;

(ii) a Post-graduate degree in the subject or speciality concerned included in the Schedules to the Act.

(b) Desirable-

(i) post-graduate teaching experience in the respective discipline;

(ii) original published papers or books on the concerned subject;

(iii) good knowledge of Arabic or Persian and English.

(c) Experience-

(i) **For the post of Professor:** Total teaching experience of ten years in concerned subject or five years teaching experience as Associate Professor (Reader) in concerned subject or total ten years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with not less than five papers published in journal.

(ii) **For the post of Reader or Associate Professor:** Teaching experience of five years in concerned subject or total five years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with not less than three papers published in journal.

(iii) **For the post of Assistant Professor or Lecturer** at the time of first appointment, the age shall not exceed forty-five years and no teaching or research experience is required.

(d) Qualification and experience for the post of Head of the Institution – The qualification and experience for the post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director) shall be the qualification and experience prescribed for the post of Professor .

(e) Provision for allied subjects: In absence of the candidate of post-graduate qualification in the subject concerned as mentioned in column (2) of the table, the candidate of post-graduate qualification in the allied subjects as mentioned in column (3) of the table, shall be considered eligible for the post of Lecturer or Assistant Professor, Reader or Associate Professor and Professor:-

Table

S. No	Subject	Allied Subjects
(1)	(2)	(3)
1.	Tashreehul Badan	Ilmul Jarahat or Kulliyate Tib

2.	Munafeul Aza	Kulliyate Tib
3.	Saidla	Ilmul Advia
4.	MahiyatulAmraz	Moalajat or Kulliyate Tib
5.	Ilaj bit Tadabeer	Moalajat or Tahaffuzi wa Samaji Tib
6.	Amraze Jild	Moalajat
7.	Amraze Uzn, Anf, Halaq wa Asnan	Ilmul Jarahat or Moalajat
8.	Amraze Ain	Ilmul Jarahat or Moalajat
9.	Ilmul Atfal	Moalajat or Qabalat wa Amraze Niswan

Note 1: The provision of allied subjects may be allowed for five years from the date of publication of these regulations.

Note 2: The teacher(s) who had been considered eligible in the past on the basis of the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Education) Regulations, 1979 and the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Unani Education) Regulations, 2007, shall not be considered ineligible after publication of these regulations.

Note 3: Teachers who are working in recognized Unani medical colleges and appointed prior to year 2007 shall be eligible for appointment or promotion for post of Professor, Reader and Lecturer in the respective discipline without post-graduate qualification.

Note 4: For appointment or promotion to the post of Professor and Reader in the respective disciplines, the non-post-graduate Lecturer and Reader shall have minimum thirteen years, and eight years of teaching experience respectively. Provided that this provision shall continue for five years from the date of publication of this notification in official Gazette.

Note 5: The research experience of regular Doctor of Philosophy (Ph.D.) holder may be considered equivalent to one year teaching experience

20. Date of completion of permission process and cut-off-date for admissions in Unani Colleges.- (1) The process of grant or denial of permission to the Unani colleges for taking admissions in post-graduate courses shall be completed by the 31st July of each academic session.

(2) The cut-off-date for admissions in post-graduate courses shall be 30th September of each academic session.

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secy.

[ADVT. III/4/Exty./290(124)]

Note - If any discrepancy is found between Hindi and English version of "Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Unani Medical Education) Regulations, 2016 the English version will be treated as final.